दिनांक 21 नवम्बर, 2025 (शुक्रवार) को माननीय कुलपति जी की अध्यक्षता में प्रात: 11.30 बजे विश्वविद्यालय के अतिथि गृह में सम्पन्न कार्य परिषद की 44वीं बैठक का कार्यवृत्त।

<u>बैठक में निम्नलिखित द्वारा प्रतिभाग किया गया:-</u>

1.	प्रोफेसर नवीन चन्द्र लोहनी, कुलपति, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी।	अध्यक्ष
2.	प्रोफेसर बी0एस0 राजपूत, (पूर्व कुलपति, कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल), I-II गामा-2 ग्रेटर नोएडा, गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश।	सदस्य
3.	श्री रमेश चन्द्र बिन्जोला, अध्यक्ष, हिमालयन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्री, हल्द्वानी।	सदस्य
4.	प्रोफेसर नवल किशोर, SOMS, इन्दिरा गॉधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली **(प्रतिनिधि-कुलपति, इग्नू, नई दिल्ली)।**	सदस्य
5.	श्री विक्रम सिंह यादव, संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून **(प्रतिनिधि- सचिव, उच्च शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून)** (वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से प्रतिभाग किया गया)	सदस्य
6.	प्रोफेसर योजना रावत, डायरेक्टर रिसर्च, यूनिवर्सिटी ऑफ ओपन लर्निंग, पंजाब यूनिवर्सिटी, चण्डीगढ़। (वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से प्रतिभाग किया गया)	सदस्य
7.	प्रोफेसर रेनू प्रकाश, निदेशक, समाज विज्ञान विद्याशाखा, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी।	सदस्य

कुलसचिव
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी (नैनीताल)

कुलपति
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी जिला नैनीताल (उत्तराखण्ड)

8. प्रोफेसर जीतेन्द्र पाण्डेय, निदेशक, कम्प्यूटर विज्ञान एवं सूचना प्रौद्योगिकी विद्याशाखा, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी। — सदस्य

9. प्रोफेसर पी0डी0 पंत, निदेशक, भौमिकी एवं पर्यावरण विज्ञान विद्याशाखा, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी। — सदस्य

10. डॉ0 हरीश चन्द्र जोशी, सह-आचार्य, वानिकी, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी। — सदस्य

11. डॉ0 नीरजा सिंह, सहायक आचार्य, समाज कार्य, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी। — सदस्य

12. श्री खेमराज भट्ट, कुलसचिव, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी। — सदस्य सचिव

13. श्री सूर्य प्रताप सिंह, मुख्य वित्त अधिकारी, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी। — आमंत्रित सदस्य

14. प्रोफेसर सोमेश कुमार, परीक्षा नियंत्रक, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी। — आमंत्रित सदस्य

बैठक आरम्भ होने से पूर्व सर्वप्रथम सदस्य सचिव, कार्य परिषद द्वारा अध्यक्ष, कार्य परिषद तथा ऑनलाइन/ऑफलाइन उपस्थित समस्त सदस्यों का कार्य परिषद की 44वीं बैठक में स्वागत किया गया। सदस्य सचिव द्वारा समस्त सदस्यों/आमंत्रित सदस्यों का परिचय देते हुए विशेष रूप से कार्य परिषद की बैठक में उपस्थित बाह्य सदस्यों का स्वागत एवं आभार व्यक्त किया गया।

कुलसचिव
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी (नैनीताल)

कुलपति
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी जिला नैनीताल (उत्तराखण्ड)

तद्क्रम में माननीय अध्यक्ष द्वारा बैठक में उपस्थित प्रोफेसर बी0एस0 राजपूत, श्री रमेश चन्द्र बिन्जोला, प्रोफेसर नवल किशोर (प्रतिनिधि, कुलपति, इन्दिरा गॉधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली) तथा आभासीय **(Online)** माध्यम से उपस्थित श्री विक्रम सिंह यादव, संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा (प्रतिनिधि, सचिव, उच्च शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून) व प्रोफेसर योजना रावत का विशेष आभार व्यक्त करते हुए समस्त सदस्यों/आमंत्रित सदस्यों का कार्य परिषद की 44वीं बैठक में स्वागत किया गया।

कार्य परिषद के बाह्य सदस्य डॉ0 अजय कुमार गुप्ता अपने व्यस्ततम कार्यक्रमों के कारण बैठक में प्रतिभाग नहीं कर सके।

विश्वविद्यालय के माननीय नवनियुक्त कुलपति, प्रोफेसर नवीन चन्द्र लोहनी जी की अध्यक्षता में परिषद की यह प्रथम बैठक आयोजित की गई। इस हेतु समस्त सदस्यों द्वारा कुलपति जी को बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए कार्य परिषद के अध्यक्ष के रूप में उनका स्वागत किया गया।

तदुपरान्त प्रस्तुत कार्यसूची में सम्मिलित प्रत्येक प्रस्ताव को सदस्य सचिव, कार्य परिषद द्वारा परिषद के सम्मुख प्रस्तुत किया गया। कार्य परिषद द्वारा प्रत्येक प्रस्ताव का अवलोकन कर सम्यक विचारोपरान्त सर्वसम्मति से समस्त प्रस्तावों पर निम्नवत् अनुमोदन प्रदान किया गया:-

प्रस्ताव संख्या 44.01- कार्य परिषद की 43वीं बैठक दिनांक 04.04.2025 के कार्यवृत्त की पुष्टि।

प्रस्तुत प्रस्ताव पर सदस्य सचिव द्वारा कार्य परिषद को अवगत कराया गया कि परिषद की 43वीं बैठक दिनांक 04.04.2025 का कार्यवृत्त विश्वविद्यालय के पत्र संख्या-यू0ओ0यू0/आर/कार्य0परि0/43/2025, दिनांक **04**.04.2025 द्वारा सभी सम्मानित सदस्यों के मध्य इस अनुरोध के साथ परिचालित किया गया था कि यदि कार्यवृत्त के किसी बिन्दु पर असहमति हो, किसी मद में कोई अंश छूट गया हो, अथवा कोई संशोधन अपेक्षित हो तो यथासमय विश्वविद्यालय को अवगत करा दिया जाय। तदनुसार परिचालित कार्यवृत्त पर माननीय सदस्यों से कोई असहमति/संशोधन प्राप्त नहीं हुआ है।

निर्णय- ***कार्य परिषद द्वारा प्रस्ताव से अवगत होते हुए पुनरावलोकन के उपरान्त सर्वसम्मति से 43वीं बैठक दिनांक 04 अप्रैल, 2025 के कार्यवृत्त की पुष्टि करते हुए यथावत अनुमोदन प्रदान किया गया।***

प्रस्ताव संख्या 44.02- कार्य परिषद की 43वीं बैठक दिनांक 04.04.2025 के निर्णयों पर कृत कार्यवाही।

कार्य परिषद की 43वीं बैठक दिनांक 04.04.2025 के निर्णयों पर कृत कार्यवाही में सम्मलित समस्त प्रस्तावों पर हुई कार्यवाही से सदस्य सचिव द्वारा कार्य परिषद को विस्तार से अवगत कराया गया।

निर्णय:- ***कार्य परिषद द्वारा कृत कार्यवाही में सम्मिलित समस्त प्रस्तावों का अवलोकन करते हुए, विश्वविद्यालय द्वारा की गयी कृत कार्यवाही पर सहमति व्यक्त करते हुए सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।***

कुलसचिव
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी (नैनीताल)

कुलपति
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी जिला नैनीताल (उत्तराखण्ड)

प्रस्ताव संख्या 44.03- विश्वविद्यालय में नवनियुक्त कुलपति जी के कार्यभार ग्रहण के संबंध में सूचना।

प्रस्तुत प्रस्ताव पर सदस्य सचिव द्वारा कार्य परिषद को अवगत कराया गया कि कुलाधिपति सचिवालय के पत्र संख्या-23229(1)जी0एस0/शिक्षा/सी7-12(1)/ 2019, दिनांक 23 जुलाई, 2025 द्वारा विश्वविद्यालय परिनियमावली-2009 के परिनियम- 4 के खण्ड-(2) के अधीन नियमित कुलपति के चयन के संबंध में गठित अन्वेषण समिति द्वारा प्रस्तुत पैनल में से परिनियम- 4 के खण्ड-(1) में निहित प्रावधान के अन्तर्गत **प्रोफेसर नवीन चन्द्र लोहनी, वरिष्ठ प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष, हिन्दी विभाग, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ (उत्तर प्रदेश)** को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 03 वर्ष की अवधि अथवा अग्रेत्तर आदेश तक, जो भी पहले हो, तक के लिए उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी का कुलपति नियुक्त किया गया है।

कुलाधिपति सचिवालय के उक्त आदेश के क्रम में प्रोफेसर **प्रोफेसर नवीन चन्द्र लोहनी** द्वारा **दिनांक 24 जुलाई, 2025 (वृहस्पतिवार)** के अपरान्ह में उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी के कुलपति पद पर कार्यभार ग्रहण कर लिया गया है। तद्क्रम में प्रस्ताव कार्य परिषद के सूचनार्थ प्रस्तुत किया गया है।

निर्णयः- ***कार्य परिषद द्वारा प्रोफेसर नवीन चन्द्र लोहनी के विश्वविद्यालय में कुलपति नियुक्त होने पर हर्ष व्यक्त करते हुए नवनियुक्त कुलपति का कार्य परिषद की प्रथम बैठक में स्वागत किया गया तथा सभी सदस्यों द्वारा शुभकामनाएं प्रेषित की गई कि विश्वविद्यालय उनके नेतृत्व में असीम नवीन उपलब्धियां प्राप्त करे।***

प्रस्ताव संख्या 44.04- विश्वविद्यालय में दशम दीक्षान्त समारोह आयोजित किए जाने से पूर्व कार्य परिषद की अनुमति लिए जाने के संबंध में।

प्रस्तुत प्रस्ताव पर सदस्य सचिव द्वारा कार्य परिषद को अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय परिनियमावली के अध्याय-10 में विश्वविद्यालय द्वारा प्रतिवर्ष एक बार दीक्षान्त समारोह आयोजित किए जाने की व्यवस्था प्राविधानित है। इस परिनियम के अन्तर्गत विनिर्मित अध्यादेश के अध्याय ग्यारह में भी दीक्षान्त समारोह आयोजित किए जाने से संबंधित विस्तृत उल्लेख है।

परिनियमावली की उक्त व्यवस्थानुसार विश्वविद्यालय का दशम दीक्षान्त समारोह **दिनांक 12 जनवरी, 2026 (वृहस्पतिवार)** को आयोजित किया जाना प्रस्तावित है। नियत तिथि के संबंध में माननीय श्री राज्यपाल/कुलाधिपति सचिवालय द्वारा दूरभाष पर सूचित किया गया है।

विश्वविद्यालय में **शैक्षणिक सत्र 2024-25** में पीएच0डी0(शोध उपाधि) में **03,** स्नातक में **10497** एवं स्नातकोत्तर में **7649** शिक्षार्थी उत्तीर्ण हुए हैं। पीएच0डी0(शोध उपाधि)/स्नातक एवं स्नातकोत्तर के विभिन्न पाठ्यक्रमों में उत्तीर्ण **कुल 18149** शिक्षार्थियों को दीक्षान्त समारोह में उपाधियां एवं **34 स्वर्ण पदक** प्रदान किए जाने हैं, जिसमें **28** नियमित स्वर्ण पदक (10 स्नातक स्तर व 18 स्नातकोत्तर स्तर), **02** कुलाधिपति स्वर्ण पदक (01 स्नातक स्तर व 01 स्नातकोत्तर स्तर) तथा **04** प्रायोजित स्वर्ण पदक (Sponsored Madel) हैं, जिनकी सूची प्रस्ताव के साथ **संलग्नक- 02** पर रक्षित है।

उक्तानुसार संबंधित प्रस्ताव को विश्वविद्यालय की विद्या परिषद की 33वीं बैठक दिनांक 10 नवम्बर, 2025 में प्रस्तुत किया गया था जिस पर विद्या परिषद द्वारा परीक्षा समिति की 20वीं बैठक दिनांक 14.10.2025 के मद संख्या 20.13.1 में संशोधन करते हुए निर्णय पारित किया गया है कि-

कुलसचिव
उत्तराखण्ड मुक्त विश्व...
हल्द्वानी (नैनीताल)

कुलपति
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी जिला नैनीताल (उत्तराखण्ड)

'किसी भी कार्यक्रम में यदि छात्र संख्या 40 या उससे अधिक होती है, तो ही उस कार्यक्रम की परीक्षा में सर्वोच्च अंक धारकों को स्वर्ण पदक प्रदान किया जायेगा। स्वर्ण पदक प्रदान किए जाने हेतु अन्य मानक पूर्व की भांति यथावत रहेंगे।'

विद्या परिषद द्वारा पारित निर्णयानुसार विभिन्न कार्यक्रमों की परीक्षा में सर्वोच्च अंक धारकों को प्रदान किए जाने वाले स्वर्ण पदक विजेताओं की संशोधित सूची प्रस्ताव के साथ संलग्न की गई है।

अत: **शैक्षणिक सत्र 2024-25** में स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तरों पर उत्तीर्ण **कुल 18146** शिक्षार्थियों एवं **03** शोध उपाधि धारकों **कुल 18149** शिक्षार्थियों को उपाधि एवं **34 स्वर्ण पदक** प्रदान किए जाने हेतु प्रस्ताव माननीय कार्य परिषद के अवलोकनार्थ/अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया गया है।

निर्णय:- ***कार्य परिषद द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। तदुपरान्त माह जनवरी, 2026 में विश्वविद्यालय के दशम दीक्षान्त समारोह आयोजित किए जाने के संबंध में विद्या परिषद की 33वीं बैठक दिनांक 10 नवम्बर, 2025 द्वारा की गई संस्तुतियों को यथावत लागू किए जाने पर सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया। साथ ही परिषद द्वारा दीक्षान्त समारोह आयोजित किए जाने से पूर्व तक होने वाले किसी भी प्रकार के संशोधन/समावेशन हेतु अध्यक्ष, कार्य परिषद को अधिकृत किया गया।***

प्रस्ताव संख्या 44.05- उच्च शिक्षा विभाग एवं एसजीबीएस उन्नति फाउण्डेशन के मध्य सम्पन्न समझौता ज्ञापन (MOU) को विश्वविद्यालय में अंगीकृत किए जाने के संबंध विचार।

प्रस्तुत प्रस्ताव पर सदस्य सचिव द्वारा कार्य परिषद को अवगत कराया गया कि सचिव, तकनीकी शिक्षा एवं उच्च शिक्षा विभाग, देहरादून के पत्र संख्या-490/व0नि0स0-स0उ0शि0-त0शि0/2025, दिनांक 09 जुलाई, 2025 द्वारा कुलसचिव, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय को प्रेषित पत्र के साथ दिनांक 06 जून, 2025 को उच्च शिक्षा विभाग एवं एसजीबीएस उन्नति फाउण्डेशन के मध्य सम्पन्न समझौता ज्ञापन (MOU) की प्रति संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही किए जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

उक्त समझौता ज्ञापन (MOU) का मुख्य उद्देश्य विश्वविद्यालयों, राजकीय महाविद्यालयों और शासकीय सहायता प्राप्त कालेजों में स्नातक और स्नातकोत्तर के अंतिम वर्ष में अध्ययनरत युवाओं को 30 दिन- 3 घंटे/प्रतिदिन का निःशुल्क कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान किया जाना है। तद्क्रम में उच्च शिक्षा विभाग एवं एसजीबीएस उन्नति फाउण्डेशन के मध्य सम्पन्न समझौता ज्ञापन (MOU) को विश्वविद्यालय में अंगीकृत किए जाने हेतु प्रस्ताव माननीय कार्य परिषद के समक्ष अवलोकनार्थ/विचारार्थ प्रस्तुत किया गया है।

निर्णय:- ***कार्य परिषद द्वारा प्रस्ताव के साथ संलग्न समझौता ज्ञापन (MOU) का अवलोकन कर सचिव, उच्च शिक्षा की इस कार्य हेतु भूरि-भूरि प्रशंसा की गई। साथ ही उच्च शिक्षा विभाग एवं एसजीबीएस उन्नति फाउण्डेशन के मध्य सम्पन्न समझौता ज्ञापन (MOU) को विश्वविद्यालय में अंगीकृत किए जाने पर सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।***

कुलसचिव
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी (नैनीताल)

कुलपति
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी जिला नैनीताल (उत्तराखण्ड)

प्रस्ताव संख्या 44.06- डॉ0 सूर्यभान सिंह, सहायक प्राध्यापक, राजनीति विज्ञान द्वारा विश्वविद्यालय सेवाओं से त्याग-पत्र दिए जाने के संबंध में सूचना।

प्रस्तुत प्रस्ताव पर सदस्य सचिव द्वारा कार्य परिषद को अवगत कराया गया कि डॉ0 सूर्यभान सिंह, सहायक प्राध्यापक, राजनीति विज्ञान का इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद में सह-प्राध्यापक, राजनीति विज्ञान के पद पर चयन होने के फलस्वरूप विश्वविद्यालय परिनियमावली के अध्याय छ: परिनियम 32(5) में वर्णित असाधारण अवकाश की व्यवस्थानुसार दिनांक 10.11.2022 से दिनांक 09.11.2023 तक 01 वर्ष का असाधारण अवैतनिक अवकाश माननीय कुलपति जी के अनुमोदनोपरान्त स्वीकृत किया गया, जिसे डॉ0 सिंह के अनुरोध पर पुन: दिनांक **10.11.2023** से दिनांक **09.11.2024** तथा दिनांक **10.11.2024** से दिनांक **09.11.2025** तक अथवा डॉ0 सिंह का इलाहाबाद विश्वविद्यालय, प्रयागराज में सह-प्राध्यापक पद पर स्थायीकरण होने, जो भी पहले हो, तक असाधारण अवैतनिक अवकाश एवं धारणाधिकार कार्य परिषद द्वारा स्वीकृत किया गया है।

डॉ0 सूर्यभान द्वारा कुलसचिव को प्रेषित ई-मेल दिनांक 27 सितम्बर, 2025 के माध्यम से सूचित किया गया है कि उनका इलाहाबाद विश्वविद्यालय, प्रयागराज में सह-प्राध्यापक, राजनीति विज्ञान के पद पर दिनांक 09.11.2024 को स्थायीकरण हो गया है। तद्क्रम में डॉ0 सिंह द्वारा इस विश्वविद्यालय में सहायक प्राध्यापक, राजनीति विज्ञान के पद से उनका त्याग-पत्र स्वीकृत किए जाने का अनुरोध किया गया है ।

अत: उक्तानुसार डॉ0 सूर्यभान सिंह द्वारा कुलसचिव को प्रेषित ई-मेल दिनांक 27 सितम्बर, 2025 के क्रम में डॉ0 सिंह का सहायक प्राध्यापक, राजनीति विज्ञान पद से धारणाधिकार समाप्त करते हुए **दिनांक 10.11.2022 (स्वीकृत असाधारण अवैतनिक अवकाश की प्रथम तिथि)** से विश्वविद्यालय सेवाओं से त्याग-पत्र स्वीकृति का प्रस्ताव माननीय कार्य परिषद के समक्ष सूचनार्थ/अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया गया है।

निर्णय:- ***प्रस्तुत प्रस्ताव का अवलोकन कर कार्य परिषद द्वारा डॉ0 सूर्यभान सिंह, सहायक प्राध्यापक, राजनीति विज्ञान के विश्वविद्यालय सेवाओं से त्याग-पत्र को स्वीकृत करते हुए पद विज्ञापित किए जाने पर सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया।***

प्रस्ताव संख्या 44.07- डॉ0 भूपेन सिंह, सहायक प्राध्यापक, पत्रकारिता एवं जनसंचार को देय असाधारण अवकाश के अनुमोदन के संबंध में।

प्रस्तुत प्रस्ताव पर सदस्य सचिव द्वारा कार्य परिषद को अवगत कराया गया कि डॉ0 भूपेन सिंह, सहायक प्राध्यापक, पत्रकारिता एवं जनसंचार द्वारा दिनांक 18 अगस्त, 2025 को प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र के माध्यम से विश्वविद्यालय प्रशासन को अवगत कराया गया कि उनका इग्लैण्ड के ससेक्स विश्वविद्यालय में 2025 के शरदकालीन सत्र हेतु विजिटिंग फैलोशिप कार्यक्रम के लिए चयन हुआ है। संबंधित सत्र में प्रतिभाग करने तथा इग्लैण्ड में रहकर अकादमिक अवसरों को और बेहतर बनाने हेतु डॉ0 सिंह द्वारा दिनांक 15 सितम्बर, 2025 से दिनांक 14 सितम्बर, 2026 तक कुल 01 वर्ष का असाधारण अवकाश अनुमन्य किए जाने का अनुरोध किया गया है।

विश्वविद्यालय परिनियमावली के अध्याय छ: परिनियम 32(5) में असाधारण छुट्टी के संबंध में निम्नानुसार व्यवस्था प्राविधानित है:-

कुलसचिव
उत्तराखण्ड मुक्त विश्व[illegible]
हल्द्वानी (नैनीता[illegible]

कुलपति
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी जिला नैनीताल (उत्तराखण्ड)

"असाधारण छुट्टी बिना वेतन के होगी। यह प्रारम्भ में ऐसे कारणों से जिन्हें कार्य परिषद उचित समझे, तीन वर्ष से अनधिक अवधि के लिए दी जा सकती है, किन्तु परिनियम 28 के खण्ड (22) में उल्लिखित परिस्थितियों के सिवाय, यह विशेष परिस्थितियों के अधीन दो वर्ष से अनधिक अवधि के लिए बढ़ाई जा सकती है।"

डॉ0 सिंह के प्रार्थना-पत्र दिनांक 18 अगस्त, 2025 पर माननीय कुलपति जी द्वारा विश्वविद्यालय परिनियमावली में प्राविधानित उक्त व्यवस्थानुसार कार्य परिषद की स्वीकृति की प्रत्याशा में डॉ0 भूपेन सिंह, सहायक प्राध्यापक, पत्रकारिता एवं जनसंचार को दिनांक 15 सितम्बर, 2025 से दिनांक 14 सितम्बर, 2026 तक कुल 01 वर्ष का असाधारण (अवैतनिक) अवकाश कार्य परिषद का निर्णय डॉ0 भूपेन सिंह को मान्य होगा, के प्रतिबन्ध के साथ स्वीकृत किया गया है। तद्क्रम में प्रस्ताव माननीय कार्य परिषद के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया गया है।

__निर्णय:-__ ***कार्य परिषद ने दिनांक 30 जुलाई, 2025 को University of Sussex, इग्लैण्ड द्वारा डॉ0 भूपेन सिंह को प्रेषित पत्र का अवलोकन करने के उपरान्त मत व्यक्त किया गया कि, चूंकि University of Sussex, इग्लैण्ड द्वारा डॉ0 सिंह को विजिटिंग फैलोशिप कार्यक्रम में प्रतिभाग हेतु दिनांक 15 सितम्बर, 2025 से दिनांक 15 दिसम्बर, 2025 तक ही आमंत्रित किया गया है। इस कारण डॉ0 सिंह को 03 माह (दिनांक 15.09.25 से 15.12.2025 तक) का ही असाधारण (अवैतनिक) अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है। यदि University of Sussex से अकादमिक गतिविधियों हेतु डॉ0 भूपेन सिंह को दिनांक 15 दिसम्बर, 2025 के उपरान्त विस्तारीकरण दिया जाता है तो, ऐसी स्थिति में ही डॉ0 सिंह के असाधारण अवकाश की समयावधि विस्तारित की जाय। इस हेतु परिषद द्वारा माननीय कुलपति/अध्यक्ष कार्य परिषद को अधिकृत करते हुए तद्संबंधी सूचना डॉ0 भूपेन सिंह को प्रेषित किए जाने पर सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।***

प्रस्ताव संख्या 44.08- श्री विमल कुमार, वरिष्ठ वैयक्तिक सहायक वेतनमान- 35400-112400 लेवल- 6 से वैयक्तिक अधिकारी वेतनमान- 44900-142400 लेवल- 7 में पदोन्नति हेतु गठित विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा की गई संस्तुतियों की सूचना के संबंध में।

प्रस्तुत प्रस्ताव पर सदस्य सचिव द्वारा कार्य परिषद को अवगत कराया गया कि वैयक्तिक सहायक संवर्ग में पदोन्नति प्रक्रिया किए जाने हेतु गठित विभागीय पदोन्नति समिति की दिनांक 20 अगस्त, 2025 को विश्वविद्यालय मुख्यालय में बैठक सम्पन्न हुई। विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा वार्षिक गोपनीय प्रविष्टियों एवं न्यूनतम अर्हकारी सेवा के आधार पर श्री विमल कुमार, वरिष्ठ वैयक्तिक सहायक वेतनमान-**35400-112400 लेवल- 6 से वैयक्तिक अधिकारी वेतनमान- 44900-142400 लेवल- 7** में पदोन्नत किए जाने की संस्तुति की गई। विभागीय पदोन्नति समिति की संस्तुतियों को माननीय कुलपति जी द्वारा अनुमोदित किया गया है। तद्क्रम में श्री विमल कुमार को **वैयक्तिक अधिकारी वेतनमान- 44900-142400 लेवल- 7** में दिनांक 23 अगस्त, 2025 से पदोन्नति प्रदान कर दी गई है। तद्संबंधी सूचना माननीय कार्य परिषद के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

__निर्णय:-__ ***कार्य परिषद द्वारा वैयक्तिक सहायक संवर्ग में पदोन्नति प्रक्रिया किए जाने हेतु गठित विभागीय समिति की संस्तुतियों पर यथावत अनुमोदन प्रदान किया गया।***

कुलसचिव
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी (नैनीताल)

कुलपति
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी जिला नैनीताल (उत्तराखण्ड)

प्रस्ताव संख्या 44.09- विश्वविद्यालय में अल्पकालिक/अस्थाई आधार पर नियोजित असिस्टेंट प्रोफेसर (ए.सी.), प्रशासनिक परामर्शदाता, तकनीकी परामर्शदाता तथा कैमरामैन व वीडियो एडिटर के पुनर्नियोजन के संबंध में सूचना।

प्रस्तुत प्रस्ताव पर सदस्य सचिव द्वारा कार्य परिषद को अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय में पर्याप्त शैक्षिक/शिक्षणेत्तर पदों का सृजन न होने के कारण शैक्षिक/तकनीकी/प्रशासनिक कार्यों के निष्पादन हेतु विश्वविद्यालय परिनियमावली के अध्याय-तीन (धारा-11(1)) परिनियम 4(19) के अधीन प्रथम अध्यादेश के अध्याय-8 में वर्णित व्यवस्थानुसार कुलपति द्वारा विश्वविद्यालय के दक्षतापूर्ण संचालन की आवश्यकता हेतु समय-समय पर अल्पकालिक नियुक्ति जो एक बार में छः माह से अनधिक हो, किये जाने का प्राविधान है। तदनुसार समय-समय पर विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर(ए.सी.) प्रशासनिक परामर्शदाता, तकनीकी परामर्शदाता तथा कैमरामैन व वीडियो एडिटर का नियोजन किया जाता रहा है।

वर्तमान में असिस्टेंट प्रोफेसर(ए.सी.), प्रशासनिक एवं तकनीकी परामर्शदाताओं की छः माह की सेवा अवधि **दिनांक 30 जून, 2025** को पूर्ण होने के फलस्वरूप माननीय कुलपति जी के अनुमोदनोपरान्त एक दिन के सेवा व्यवधान के साथ **दिनांक 02 जुलाई, 2025 से दिनांक 31 दिसम्बर, 2025** तक (छः माह) पूर्व निर्धारित मानदेय/शर्तों के अधीन **108** असिस्टेंट प्रोफेसर(ए.सी.), **05** प्रशासनिक परामर्शदाता तथा **02** तकनीकी परामर्शदाताओं को पुनर्नियोजित किया गया है। साथ ही विभिन्न विषयों में नियोजित **16 असिस्टेंट प्रोफेसर(ए.सी.)** का कार्यकाल **दिनांक 30 सितम्बर, 2025** को पूर्ण होने के फलस्वरूप संबंधित **16 असिस्टेंट प्रोफेसर(ए.सी.)** के पुनर्नियोजन हेतु **दिनांक 24.09.2025 एवं दिनांक 25.09.2025** को आहूत चयन समिति द्वारा की गई संस्तुति के क्रम में माननीय कुलपति जी के अनुमोदनोपरान्त उक्त **16 असिस्टेंट प्रोफेसर(ए.सी.)** को **दिनांक 03 अक्टूबर, 2025 से दिनांक 31 दिसम्बर, 2025 तक कुल 03 माह** तक के लिए पूर्व निर्धारित मानदेय पर पुनर्नियोजित किया गया है।

उक्त के अतिरिक्त कैमरामैन एवं वीडियो एडिटर की छः माह की सेवा अवधि **दिनांक 31 अगस्त, 2025** को पूर्ण होने के फलस्वरूप प्रभारी ई0एम0पी0सी0 की आख्या के आधार पर कुलसचिव द्वारा परीक्षणोपरान्त की गई संस्तुति पर माननीय कुलपति जी के अनुमोदनोपरान्त एक दिन के सेवा व्यवधान के साथ **दिनांक 02 सितम्बर, 2025 से दिनांक 28 फरवरी, 2026** तक (छः माह) पूर्व निर्धारित मानदेय पर पुनर्नियोजित किया गया है। तद्क्रम में प्रस्ताव माननीय कार्य परिषद के समक्ष सूचनार्थ/अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया गया है।

<u>निर्णयः-</u> ***प्रस्तुत प्रस्ताव पर कार्य परिषद के माननीय सदस्य प्रोफेसर बी0एस0 राजपूत द्वारा सदस्य सचिव से संबंधित असिस्टेंट प्रोफेसर(ए.सी.), प्रशासनिक व तकनीकी परामर्शदाताओं तथा कैमरामैन एवं वीडियो एडिटर के मानदेय के संबंध में पृच्छा की गई। तद्क्रम में सदस्य सचिव द्वारा संबंधित कार्मिकों के मानदेय के संबंध में परिषद के समक्ष विस्तृत आख्या प्रस्तुत की गई।***

प्रकरण पर गहन चर्चा के उपरान्त परिषद द्वारा सम्यक विचारोपरान्त उक्त कार्मिकों के मानदेय बढ़ोत्तरी पर सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय पारित किया गयाः-

1. **कार्य परिषद द्वारा मत व्यक्त किया गया कि एक शिक्षक के रूप में असिस्टेंट प्रोफेसर(ए.सी.) का मानदेय ₹25000/- एवं ₹35000/- प्रतिमाह बहुत कम है। प्रतिमाह देय मानदेय में बढ़ोत्तरी किए जाने हेतु एक प्रस्ताव तैयार कर उत्तराखण्ड शासन को प्रेषित किया जाय।**

कुलसचिव
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी (नैनीताल)

कुलपति
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी जिला नैनीताल (उत्तराखण्ड)

2. **कार्य परिषद द्वारा मत व्यक्त किया गया कि प्रशासनिक परामर्शदाताओं के मानदेय निर्धारण के संबंध में एक समिति गठित की जाय। समिति गठित किए जाने हेतु परिषद द्वारा माननीय कुलपति जी को अधिकृत किया गया।**

3. ***प्रस्तुत प्रस्ताव के क्रम में असिस्टेंट प्रोफेसर(ए.सी.), प्रशासनिक व तकनीकी परामर्शदाताओं तथा कैमरामैन एवं वीडियो एडिटर के विभिन्न तिथियों में किए गए पुनर्नियोजन के संबंध में विश्वविद्यालय परिनियमावली में वर्णित व्यवस्थानुसार माननीय कुलपति जी द्वारा लिए गये निर्णय पर कार्य परिषद द्वारा सर्वसम्मति से यथावत अनुमोदन प्रदान किया गया।***

4. ***असिस्टेंट प्रोफेसर(ए.सी.), प्रशासनिक व तकनीकी परामर्शदाताओं तथा कैमरामैन एवं वीडियो एडिटर के पुनर्नियोजन की सूचना शासन को प्रेषित की जाय।***

प्रस्ताव संख्या 44.10- विश्वविद्यालय में कार्यरत कार्मिकों को रविवार या अवकाश के दिन कार्य पर बुलाए जाने के सापेक्ष प्रतिकर अवकाश अनुमन्य किए जाने पर विचार।

प्रस्तुत प्रस्ताव पर सदस्य सचिव द्वारा कार्य परिषद को अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय में कार्यरत समस्त तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कार्मिकों, जिसमें बाह्य स्रोत से नियोजित कार्मिक भी सम्मिलित हैं, को रविवार या अवकाश के दिन विश्वविद्यालय में कार्य हेतु बुलाए जाने पर प्रतिकर अवकाश कुछ प्रतिबन्धों के अधीन स्वीकृत किए जाने की व्यवस्था पूर्व में माननीय कुलपति जी के अनुमोदनोपरान्त की गई थी। इस संबंध में दिनांक 08 जून,2016 को कुलसचिव कार्यालय द्वारा एक कार्यालय आदेश जारी किया गया।

परीक्षा विभाग में कार्यरत शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर कार्मिकों को रविवार या अवकाश के दिन परीक्षा संबंधी कार्यों के निष्पादन हेतु बुलाए जाने पर प्रतिकर अवकाश दिए जाने के संबंध में परीक्षा समिति की 9वीं बैठक दिनांक 22 फरवरी, 2019 में एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया जिसे कार्य परिषद की 24वीं बैठक दिनांक 25 फरवरी, 2019 द्वारा अनुमोदित करते हुए निम्नलिखित निर्णय पारित किया गया:-

"विश्वविद्यालय में नियोजित शैक्षिक/शिक्षणेत्तर वर्ग के कार्मिकों को अवकाश के दिन परीक्षा कार्यों में सहयोग किये जाने पर मानदेय न दिये जाने की स्थिति में उस दिन का प्रतिकर अवकाश परीक्षा नियंत्रक की संस्तुति पर अनुमन्य करते हुए समय सीमा पूरे सत्र (जुलाई से जून) तक किए जाने पर कार्य परिषद द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।"

इस संबंध में यह भी अवगत कराना है कि विभिन्न विभागों द्वारा समय-समय पर आयोजित की जाने वाली अकादमिक गतिविधियों जैसे- कार्यशाला, सेमिनार आदि के मध्य आने वाले रविवार या अन्य अवकाशों के एवज में प्रतिकर अवकाश दिए जाने का अनुरोध किया जा रहा है। प्रतिकर अवकाश के संबंध में उ0प्र0 शासन द्वारा निर्गत **शासनादेश दिनांक 26 जुलाई, 1973 में प्रतिकर अवकाश की सुविधा केवल अराजपत्रित कर्मचारियों को ही उपलब्ध होगी** का उल्लेख किया गया है।

कुलसचिव
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी (नैनीताल)

कुलपति
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी जिला नैनीताल (उत्तराखण्ड)

उक्त के अतिरिक्त विश्वविद्यालय में बाह्य सेवा प्रदाता संस्था उपनल के माध्यम से भी तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी में कार्मिक नियोजित हैं। उपनल के माध्यम से नियोजित कार्मिकों को प्रतिकर अवकाश की सुविधा प्रदान किए जाने के संबंध में प्रमुख सचिव, सैनिक कल्याण विभाग, देहरादून द्वारा शासनादेश संख्या- 1187/XVII-5/17-09(30)/2013, दिनांक 12 सितम्बर, 2017 निर्गत किया गया है।

विश्वविद्यालयों में शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर वर्ग में नियमित कार्मिकों के इतर छ: माह की समयावधि हेतु नियोजित कार्मिक व बाह्य सेवा प्रदाता संस्था के माध्यम से आउटसोर्स में दैनिक मजदूरी के आधार पर विभिन्न श्रेणियों में कार्मिक नियोजित हैं। संबंधित समस्त कार्मिकों को आवश्यक कार्यों को समय पर निस्तारित किए जाने हेतु आवश्यकतानुसार रविवार या अन्य अवकाशों के दिन भी विश्वविद्यालय में कार्य पर बुलाया जाता है जिसके एवज में प्रतिकर अवकाश दिया जाता रहा है। किन्तु विश्वविद्यालय में स्थापित विभागों द्वारा आयोजित कार्यशाला व सेमिनार आदि के मध्य आने वाले रविवार व अन्य अवकाश हेतु भी प्रतिकर अवकाश अनुमन्य किए जाने के लिए समय-समय पर पत्रावली प्रस्तुत की जा रही है। तद्क्रम में विश्वविद्यालय में कार्यरत समस्त शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर कार्मिकों को रविवार या अन्य अवकाशों में कार्य पर बुलाए जाने एवं विभागों द्वारा आयोजित की जाने वाली कार्यशाला व सेमिनार आदि के मध्य आने वाले रविवार या अन्य अवकाश के एवज में प्रतिकर अवकाश दिए जाने के संबंध में प्रकरण माननीय कार्य परिषद के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया है।

निर्णय:- ***प्रस्तुत प्रस्ताव का अवलोकन कर कार्य परिषद द्वारा प्रतिकर अवकाश की व्यवस्था को पूर्व की भांति समस्त शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर कार्मिकों पर यथावत लागू किए जाने पर सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान करते हुए निम्न शर्तो के अधीन प्रतिकर अवकाश अनुमन्य किए जाने की संस्तुति की गई:-***

1. ***कार्मिकों को उसके उच्च अधिकारी द्वारा रविवार या अन्य अवकाशों में विश्वविद्यालय में काम करने को बुलाया जाए तो इसके बदले में कार्मिक को उसकी सुविधानुसार किसी अन्य कार्य दिवस में प्रतिकर अवकाश स्वीकार किया जाए।***
2. ***यदि कार्मिक आधे दिन अर्थात लंच के समय तक अवकाश में काम करता है तो ऐसे दो आधे दिनों को जोड़कर एक दिन का प्रतिकर अवकाश स्वीकार किया जाए।***
3. ***रविवार या अन्य अवकाश के दिन कार्य करने के एवज में मानदेय न दिए जाने की स्थिति में ही प्रतिकर अवकाश अनुमन्य किया जाए।***
4. ***प्रतिकर अवकाश तभी देय होगा जब अवकाश दिवस में विभागाध्यक्ष द्वारा कार्य में बुलाए जाने हेतु लिखित आदेश दिया गया हो तथा दो दिन से अधिक का प्रतिकर अवकाश एक साथ देय नहीं होगा।***
5. ***अवकाश दिवस जिसमें कार्य हेतु बुलाया गया हो, में बायोमैट्रिक उपस्थिति अंकित किया जाना अनिवार्य होगा।***
6. ***कार्मिक द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रतिकर अवकाश आवेदन पत्र के साथ कार्य में बुलाए जाने संबंधी आदेश संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा।***
7. ***प्रतिकर अवकाश अनुमन्य किए जाने की समय सीमा पूरे सत्र (जुलाई से जून) तक रहेगी जिस हेतु समस्त विभागों में एक पंजिका अनिवार्य रूप से निर्मित की जाय जिसमें प्रतिकर अवकाश का पूर्ण विवरण अंकित किया जाए।***

कुलसचिव
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी (नैनीताल)

कुलपति
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी जिला नैनीताल (उत्तराखण्ड)

प्रस्ताव संख्या 44.11- विश्वविद्यालय की विद्या परिषद की 33वीं बैठक दिनांक 10.11.2025 की संस्तुतियों का अनुमोदन।

निर्णयः- *कार्य परिषद द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव से अवगत होते हुए विश्वविद्यालय की विद्या परिषद की 33वीं बैठक दिनांक 10.11.2025 की संस्तुतियों पर सर्वसम्मति से यथावत अनुमोदन प्रदान किया गया।*

प्रस्ताव संख्या 44.12- विश्वविद्यालय की वित्त समिति की 20वीं बैठक दिनांक 17.11.2025 की संस्तुतियों का अनुमोदन।

निर्णयः- *कार्य परिषद द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव से अवगत होते हुए विश्वविद्यालय की वित्त समिति की 20वीं बैठक दिनांक 17.11.2025 की संस्तुतियों पर सर्वसम्मति से यथावत अनुमोदन प्रदान किया गया।*

प्रस्ताव संख्या 44.13- अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य प्रस्ताव।

प्रस्ताव संख्या 44.13.01- दीक्षान्त समारोह से पूर्व उपाधि प्रदान किये जाने के संबंध में राज्यपाल/ कुलाधिपति सचिवालय, उत्तराखण्ड, देहरादून द्वारा विश्वविद्यालय को प्रेषित पत्र के संबंध में सूचना।

प्रस्तुत प्रस्ताव पर सदस्य सचिव द्वारा कार्य परिषद को अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय के विभिन्न पाठ्यक्रमों में पंजीकृत 11 शिक्षार्थियों का एस0एस0बी0 में चयन होने के फलस्वरूप संबंधित शिक्षार्थियों द्वारा डिप्लोमा/उपाधि प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया। चूंकि विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण हुए शिक्षार्थियों को दीक्षान्त समारोह के उपरान्त ही डिप्लोमा/उपाधि प्रदान की जाती है और शैक्षणिक सत्र 2024-25 का दीक्षान्त समारोह सम्पन्न नहीं होने के कारण संबंधित शिक्षार्थियों को विश्वविद्यालय द्वारा अनंतिम उपाधि प्रमाण-पत्र (Provisional Degree Certificate) प्रदान किया गया था। विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत Provisional Degree Certificate/डिप्लोमा को भर्ती निर्देशक, सेना भर्ती कार्यालय, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, लैंसडाउन द्वारा मान्य नहीं किया गया।

इस संबंध में उक्त 11 शिक्षार्थियों द्वारा अपनी समस्या से माननीय राज्यपाल/ कुलाधिपति जी को अवगत कराया गया जिस पर माननीय कुलाधिपति सचिवालय, देहरादून द्वारा संचार माध्यम (whatsapp) से विश्वविद्यालय को निर्देशित किया गया कि संबंधित शिक्षार्थियों की समस्या का उचित समाधान किया जाए तथा संबंधित शिक्षार्थियों में से जिनके द्वारा कोर्स उत्तीर्ण कर लिया गया हो उन्हें दीक्षान्त समारोह की प्रतीक्षा किए बिना संबंधित कोर्स की उपाधि प्रदान कर दी जाय। तदक्रम में विश्वविद्यालय द्वारा माननीय कुलाधिपति जी से प्राप्त निर्देश के क्रम में उक्त 11 शिक्षार्थियों को दीक्षान्त समारोह से पूर्व डिप्लोमा/उपाधि प्रदान कर दी गई है। तद्संबंधी सूचना विश्वविद्यालय की विद्या परिषद की 33वीं बैठक दिनांक 10 नवम्बर, 2025 में प्रस्तुत की गई है।

कुलसचिव
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी (नैनीताल)

कुलपति
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी जिला नैनीताल (उत्तराखण्ड)

सेना सेवा में चयनित उक्त 11 अभ्यर्थियों के भविष्य को दृष्टिगत रखते हुए माननीय राज्यपाल/कुलाधिपति जी द्वारा संबंधित अभ्यर्थियों को डिग्री निर्गत किए जाने की सैद्धान्तिक सहमति प्रदान किए जाने के संबंध में अनुसचिव, माननीय कुलाधिपति जी द्वारा दिनांक 10 नवम्बर, 2025 को माननीय कुलपति जी को पत्र प्रेषित किया गया है। तद्क्रम में प्रस्ताव माननीय कार्य परिषद के समक्ष सूचनार्थ प्रस्तुत किया गया है।

निर्णय:- ***माननीय कुलाधिपति जी के निर्देशानुसार 11 शिक्षार्थियों को विश्वविद्यालय द्वारा दीक्षान्त समारोह से पूर्व डिप्लोमा/उपाधि प्रदान किये जाने से कार्य परिषद अवगत हुई।***

प्रस्ताव संख्या 44.13.02- विश्वविद्यालय परिनियमावली के अध्याय पांच परिनियम 13(7) में स्थापित मानविकी विद्याशाखा के अन्तर्गत हिन्दी विभाग का नाम परिवर्तित किए जाने के संबंध में विचार।

प्रस्तुत प्रस्ताव पर सदस्य सचिव द्वारा कार्य परिषद को अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय परिनियमावली के अध्याय पांच परिनियम 13(7) में मानविकी विद्याशाखा के अन्तर्गत हिन्दी विभाग का नाम **'हिन्दी एवं आधुनिक भारतीय भाषाएं विभाग'** है। इस संबंध में समन्वयक, हिन्दी विभाग द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है कि- व्याकरणिक दृष्टि से हिन्दी विभाग का नाम **'हिन्दी एवं आधुनिक भारतीय भाषा विभाग'** होना चाहिए।

उक्तानुसार दिनांक 18 नवम्बर, 2025 को माननीय कुलपति जी एवं समस्त विद्याशाखा निदेशक, जो कि विश्वविद्यालय की विद्या परिषद के सदस्य भी हैं, के मध्य हुई चर्चा में समन्वयक, हिन्दी एवं आधुनिक भारतीय भाषाएं विभाग द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर सहमति प्रदान करते हुए, अनुमति हेतु प्रकरण कार्य परिषद को प्रेषित किया गया। तद्क्रम में **'हिन्दी एवं आधुनिक भारतीय भाषाएं विभाग'** का नाम परिवर्तित कर **'हिन्दी एवं आधुनिक भारतीय भाषा विभाग'** किए जाने हेतु प्रस्ताव कार्य परिषद की सहमति हेतु प्रस्तुत है। परिषद की सहमति उपरान्त मानविकी विद्याशाखा के अन्तर्गत हिन्दी विभाग का नाम विश्वविद्यालय परिनियमावली में भी संशोधित किया जाना आवश्यक है। तदक्रम में विश्वविद्यालय परिनियमावली में प्राविधानित व्यवस्थानुसार माननीय कुलाधिपति जी की स्वीकृति हेतु प्रेषित किए जाने हेतु प्रस्ताव माननीय कार्य परिषद के समक्ष अवलोकनार्थ/अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया गय है।

निर्णय:- ***प्रस्तुत प्रस्ताव का अवलोकन कर कार्य परिषद द्वारा 'हिन्दी एवं आधुनिक भारतीय भाषाएं विभाग' का नाम परिवर्तित कर 'हिन्दी एवं आधुनिक भारतीय भाषा विभाग' किए जाने हेतु विश्वविद्यालय परिनियमावली में वर्णित व्यवस्थानुसार प्रस्ताव माननीय कुलाधिपति जी की स्वीकृति हेतु प्रेषित किए जाने पर सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।***

प्रस्ताव संख्या 44.13.03- ई-एस0एल0एम0 के प्रयोग की अनिवार्यता पर पुनर्विचार किए जाने के संबंध में।

प्रस्तुत प्रस्ताव पर सदस्य सचिव द्वारा कार्य परिषद को अवगत कराया गया कि ई-एस0एल0एम0 की अनिवार्यता के संबंध में एक प्रस्ताव विश्वविद्यालय प्रवेश समिति की 5वीं बैठक दिनांक 18 फरवरी, 2025 में प्रस्तुत किया गया था जिस पर प्रवेश समिति द्वारा निम्नानुसार संस्तुति की गई:-

कुलसचिव
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी (नैनीताल)

कुलपति
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी जिला नैनीताल (उत्तराखण्ड)

"विश्वविद्यालय द्वारा अद्यतन दी जा रही ई-एस0एल0एम0 की वैकल्पिकता पर समिति द्वारा विचार करते हुए सर्वसम्मति से अध्यक्ष महोदय द्वारा यह निर्णय किया गया कि डिजिटल इण्डिया इनीशियेटिव को बढ़ावा देते हुए विश्वविद्यालय में सत्र जुलाई, 2025 से पंजीकृत होने वाले समस्त छात्रों को अनिवार्य रूप से ई-एस0एल0एस0 प्रदान किया जायेगा। इस हेतु संबंधित छात्र को विश्वविद्यालय नियमानुसार पाठ्यक्रम शुल्क में 15 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। इसके अतिरिक्त यदि कोई छात्र मुद्रित एस0एल0एम0 की मांग करता है, तो ऐसी दशा में वह छात्र पृथक से आवेदन कर बकाया पाठ्यक्रम शुल्क में दी जा रही 15 प्रतिशत छूट की धनराशि को अनिवार्य रूप से जमा करेगा। इसके लिए प्रवेश फार्म में उपयुक्त संशोधन करने के लिए प्रवेश अनुभाग को निर्देशित किया गया।"

प्रवेश समिति की उक्त संस्तुतियों पर विश्वविद्यालय विद्या परिषद की 31वीं बैठक दिनांक 11 मार्च, 2025 एवं कार्य परिषद की 43वीं बैठक दिनांक 04 अप्रैल, 2025 द्वारा सर्वसम्मति पर यथावत अनुमोदन प्रदान किया गया। ई-एस0एल0एम0 की अनिवार्यता के संबंध में पूर्व में प्रवेश समिति की 5वीं बैठक में लिए गए निर्णय पर पुनर्विचार किए जाने हेतु माननीय कुलपति जी की अध्यक्षता में दिनांक 18 नवम्बर, 2025 को समस्त विद्याशाखा निदेशकों, कुलसचिव, वित्त नियंत्रक एवं परीक्षा नियंत्रक की एक बैठक सम्पन्न हुई जिसमें समिति द्वारा चर्चा उपरान्त निम्नानुसार संस्तुति की गई, तद्क्रम में प्रस्ताव माननीय कार्य परिषद के समक्ष प्रस्तुत किया गया है:-

"प्रवेश समिति की 5वीं बैठक के मद संख्या 5.11.2 (ई-एस0एल0एम0 के प्रयोग की अनिवार्यता) पर पुनर्विचार करते हुए निदेशक मंडल द्वारा सर्वसम्मति से यह निर्णय पारित हुआ कि शिक्षार्थियों को अध्ययन सामग्री की मुद्रित प्रति उपलब्ध कराए जाने की व्यवस्था में सुगमता एवं सुदृढ़ीकरण हेतु शिक्षार्थियों को प्रवेश फॉर्म में ही अध्ययन सामग्री की मुद्रित प्रति प्राप्ति के लिए आवेदन की व्यवस्था प्रदान की जाए, जिसमे सामान्यतः ई- एस0एल0 एम0 विकल्प स्वतः चिन्हित होगा, जिसमें शिक्षार्थी अपनी आवश्यकता के अनुरूप अध्ययन सामग्री की मुद्रित प्रति के विकल्प में परिवर्तित कर सकेगा। ऐसे शिक्षार्थियों को पाठ्यक्रम शुल्क में 15 प्रतिशत छूट का लाभ नहीं दिया जाएगा तथा उक्त सभी शिक्षार्थी पूर्ण शुल्क का भुगतान करके ही प्रवेश प्राप्त करेंगे। यह व्यवस्था अकादमिक सत्र जनवरी, 2026 से विश्विद्यालय द्वारा संचालित समस्त कार्यक्रमों में उपलब्ध कराई जाएगी तथा इसके अतिरिक्त शेष व्यवस्थाएं यथावत रहेंगी। बैठक में प्रवेश प्रभारी को निर्देशित किया गया कि उक्त प्रयोजन हेतु ऑनलाइन प्रवेश फॉर्म को एकीकृत करते हुए अध्ययन सामग्री की मुद्रित प्रति प्राप्त करने का विकल्प तैयार कराएं"।

निर्णयः- *प्रस्तुत प्रस्ताव का अवलोकन कर कार्य परिषद द्वारा सर्वसम्मति से यथावत अनुमोदन प्रदान किया गया।*

प्रस्ताव संख्या 44.13.04- विश्वविद्यालय में छः माह से अनधिक अवधि हेतु नियोजित महिला कार्मिकों को अनुमन्य किये जा रहे बाल्य देखभाल अवकाश के संबंध में विश्वविद्यालय में प्रचलित व्यवस्था पर अनुमोदन तथा संबंधित महिला कार्मिकों द्वारा आवेदित मातृत्व/ प्रसूति अवकाश की अनुमन्यता पर विचार।

बाल्य देखभाल अवकाश

प्रस्तुत प्रस्ताव पर सदस्य सचिव द्वारा कार्य परिषद को अवगत कराया गया कि वित्त (वे0आ0-सा0नि0) अनुभाग-7, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-156931(1)/XXVII(7)/E-41734/2022, दिनांक 25 सितम्बर, 2023 द्वारा राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन विभागों/संस्थाओं में विभागीय एवं बाह्य स्रोत के माध्यम से संविदा/तदर्थ/नियत वेतन पर नियोजित कार्मिकों को पितृत्व अवकाश, बाल्य देखभाल अवकाश तथा बाल-दत्तक ग्रहण अवकाश अनुमन्य किए जाने के आदेश निर्गत किए गए हैं।

कुलसचिव
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी (नैनीताल)

कुलपति
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी जिला नैनीताल (उत्तराखण्ड)

उक्त शासनादेश के क्रमांक viii में बाल्य देखभाल अवकाश न्यूनतम एक वर्ष की सेवा पूर्ण कर लेने वाले नियोजित कार्मिकों को ही अनुमन्य किए जाने तथा एक कलेण्डर वर्ष में अधिकतम 15 दिन का बाल्य देखभाल अवकाश अनुमन्य किए जाने की व्यवस्था है।

इस संबंध में अवगत कराना है कि विश्वविद्यालय परिनियमावली के परिनियम 4 (19) में प्रदत्त व्यवस्था के क्रम में अल्पकालिक व्यवस्थान्तर्गत छ: माह से अनधिक अवधि हेतु नियत मानदेय के आधार पर असिस्टेंट प्रोफेसर(ए.सी.) तथा प्रशासनिक एवं तकनीकी परामर्शदाता के रूप में महिला कार्मिक नियोजित हैं। इस प्रकृति के नियोजन में महिला कार्मिकों की नियुक्ति अवधि छ: माह से अनधिक होने के कारण एक कलेण्डर वर्ष में अनुमन्य किए जाने वाले 15 दिन के बाल्य देखभाल अवकाश को प्रथम छ: माही में 7(सात) तथा द्वितीय छ:माही में 8 (आठ) के रूप में विभाजित करते हुए महिला कार्मिकों को बाल्य देखभाल अवकाश अनुमन्य किए जा रहे हैं।

उक्त शासनादेश में बाल्य देखभाल अवकाश की व्यवस्था न्यूनतम एक वर्ष की सेवा पूर्ण कर लेने वाले नियोजित कार्मिकों हेतु है, जबकि इस प्रकृति के नियोजन की अवधि छ: माह से अनधिक की है तथा संबंधितों की कार्य मूल्यांकन आख्या के आधार पर उन्हें 01 दिन के सेवा व्यवधान के साथ छ: माह से अनधिक अवधि हेतु पुर्नियोजित किया जाता है, किन्तु इस प्रकार से नियोजित महिला कार्मिक जिनकी विश्वविद्यालय में पूर्व के निरन्तर नियोजनों की कुल अवधि 01 वर्ष से अधिक हो चुकी हो, उन्हें बाल्य देखभाल अवकाश अनुमन्य किया जा रहा है।

अत: विश्वविद्यालय में छ: माह से अनधिक अवधि हेतु नियोजित महिला कार्मिकों को अनुमन्य किए जा रहे बाल्य देखभाल अवकाश के संबंध में विश्वविद्यालय में वर्तमान में प्रचलित व्यवस्था कार्य परिषद के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

मातृत्व/प्रसूति अवकाश

वित्त (वे0आ0-सा0नि0) अनुभाग-7, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-190(1)/XXVII(7)/34(1) 2009, दिनांक 12 सितम्बर, 2016 द्वारा राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन विभागों/संस्थाओं में विभागीय एवं बाह्य स्रोत के माध्यम से संविदा/तदर्थ/नियत वेतन पर नियोजित महिला सेवकों को प्रसूति अवकाश अनुमन्य किए जाने के आदेश निर्गत किए गये हैं।

उक्त शासनादेश के प्रस्तर 3 में उल्लिखित है कि विभागीय/बाह्रय स्रोत के माध्यम से संविदा/तदर्थ/नियत वेतन पर नियोजित महिला सेवकों को प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, 1961 (समय-समय पर यथासंशोधित) में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबंधों को पूर्ण करने पर प्रसूति अवकाश की सुविधा, उस सीमा तक जो निर्धारित की गयी हो, विभागीय संविदा से नियोजित कार्मिकों को नियोक्ता द्वारा अनुमन्य की जायेगी।

इस संबंध में अवगत कराना है कि विश्वविद्यालय परिनियमावली के परिनियम 4(19) में प्रदत्त व्यवस्था के क्रम में अल्पकालिक व्यवस्थान्तर्गत छ: माह से अनधिक अवधि हेतु नियत मानदेय के आधार पर असिस्टेंट प्रोफेसर(ए.सी.) तथा प्रशासनिक एवं तकनीकी परामर्शदाता के रूप में महिला कार्मिक नियोजित हैं ऐसी महिला कार्मिकों द्वारा कुल 180 दिवसों के मातृत्व/प्रसूति अवकाश प्रदान किए जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किए जा रहे हैं।

चूंकि, वित्तीय हस्तपुस्तिका (खण्ड-2 भाग-2 से 4) के अध्याय 13 नियम 153 और 154 में प्रसूति अवकाश के संबंध में वर्णित है कि -

- ऐसा अवकाश तब तक अनुमन्य नहीं होगा जब तक कि इस नियम के अधीन स्वीकृत पिछले प्रसूति अवकाश की समाप्ति के दिनांक से कम से कम दो वर्ष की अवधि व्यतीत न हो जाय।

कुलसचिव
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी (नैनीताल)

कुलपति
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी जिला नैनीताल (उत्तराखण्ड)

- अस्थायी सरकारी कर्मचारियों की दशा में, नियम 153 और 154 के अधीन स्वीकृत की गई छुट्टी की अवधि उसकी नियुक्ति जारी रहने की सम्भावित अवधि से अधिक न होगी।

अत: उक्त प्रकृति के नियोजन की अवधि छ: माह से अनधिक की होने के कारण आवेदित महिला कार्मिकों को वित्तीय हस्तपुस्तिका के उपर्युक्त उप खण्ड में वर्णित शर्त (स्वीकृत की गई छुट्टी की अवधि उसकी नियुक्ति जारी रहने की सम्भावित अवधि से अधिक न होगी) के अधीन उनकी नियोजन अवधि तक ही प्रसूति/मातृत्व अवकाश अनुमन्य किया जा रहा है।

पुनर्नियोजन के उपरान्त संबंधित महिला कार्मिकों द्वारा अवशेष प्रसूति/मातृत्व अवकाश हेतु आवेदन किए जा रहे है, किन्तु वित्तीय हस्तपुस्तिका के उपर्युक्त उप खण्ड में वर्णित शर्त (पिछले प्रसूति अवकाश की समाप्ति के दिनांक से कम से कम दो वर्ष की अवधि व्यतीत न हो जाय) के अधीन उन्हें अवशेष (अधिकतम 180 दिनों में से) प्रसूति अवकाश अनुमन्य नहीं किए जा रहे है।

अत: उक्तानुसार छ: माह से अनधिक अवधि हेतु नियत मानदेय के आधार पर विश्वविद्यालय में नियोजित महिला कार्मिकों को अवशेष दिवसों के प्रसूति/मातृत्व अवकाश अनुमन्य किए जाने पर विचार हेतु प्रकरण माननीय कार्य परिषद के अवलोकनार्थ/विचारार्थ प्रस्तुत है।

<u>निर्णय:-</u> ***प्रस्तुत प्रस्ताव का अवलोकन कर कार्य परिषद द्वारा सम्यक विचारोपरान्त विश्वविद्यालय में छ: माह से अनधिक अवधि हेतु नियोजित महिला कार्मिकों को अनुमन्य किए जा रहे बाल्य देखभाल अवकाश एवं मातृत्व अवकाश के संबंध में सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय पारित किया गया:-***

1. ***विश्वविद्यालय में छ: माह से अनधिक अवधि हेतु नियोजित महिला कार्मिकों को बाल्य देखभाल अवकाश, विश्वविद्यालय में वर्तमान में प्रचलित व्यवस्था के अनुसार ही अनुमन्य किया जाय।***
2. ***मातृत्व अवकाश, संबंधित महिला कार्मिक के नियोजन अवधि तक ही स्वीकृत किया जाय। पुनर्नियोजन के उपरान्त अवशेष दिवसों का मातृत्व अवकाश स्वीकृत नहीं किया जा सकता।***
3. ***छ: माह से अनधिक अवधि हेतु नियोजित महिला कार्मिकों के बाल्य देखभाल एवं मातृत्व अवकाश के संबंध में उत्तराखण्ड शासन से दिशा-निर्देश प्राप्त किए जाने हेतु प्रकरण शासन को प्रेषित किया जाय।***

प्रस्ताव संख्या 44.13.05- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की अधिसूचना दिनांक 31 जुलाई, 2023 को विश्वविद्यालय में लागू/अंगीकृत किए जाने क संबंध में।

प्रस्तुत प्रस्ताव पर सदस्य सचिव द्वारा कार्य परिषद को अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की अधिसूचना संख्या-535, दिनांक 31 जुलाई, 2023 के द्वारा विनियम-2018 के मुख्य विनियमों में मौजूदा प्रावधान में संशोधन करते हुए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (तृतीय संशोधन) विनियम-2023 प्रख्यापित किया गया है। उक्त अधिसूचना को उत्तराखण्ड शासन द्वारा शासनादेश संख्या-924/XXIV-C-4/2023-01(28)/2016, दिनांक 26 अक्टूबर, 2023 के माध्यम से उत्तराखण्ड राज्य के समस्त राज्य विश्वविद्यालयों में यथावत लागू/अंगीकार किए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है।

कुलसचिव
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी (नैनीताल)

कुलपति
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी जिला नैनीताल (उत्तराखण्ड)

अत: उक्तानुसार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की अधिसूचना संख्या-535, दिनांक 31 जुलाई, 2023 एवं उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश शासनादेश संख्या-924/XXIV-C-4/2023-01(28)/2016, दिनांक 26 अक्टूबर, 2023 को विश्वविद्यालय में लागू/अंगीकृत किए जाने हेतु प्रस्ताव माननीय कार्य परिषद के अवलोकनार्थ/अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया गया है।

निर्णय:- ***विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की अधिसूचना दिनांक 31 जुलाई, 2023 को विश्वविद्यालय में अंगीकृत किए जाने पर कार्य परिषद द्वारा सर्वसम्मति से यथावत अनुमोदन प्रदान किया गया।***

बैठक के अन्त में विश्वविद्यालय द्वारा विभिन्न विषयों में शिक्षकों के पदों के सृजन हेतु दिनांक 16 अक्टूबर, 2025 के माध्यम से शासन को प्रेषित पत्र कार्य परिषद के समक्ष प्रस्तुत किया गया जिसकी परिषद द्वारा प्रशंसा करते हुए, पद सृजन के प्रस्ताव पर सहर्ष स्वीकृति प्रदान की गई। इस संबंध में डॉ0 नीरजा सिंह, सहायक प्राध्यापक, समाज कार्य द्वारा परिषद के समक्ष समाज कार्य में आचार्य का 01 पद सृजित कराये जाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, जिस पर परिषद द्वारा सहमति प्रदान करते हुए प्रस्ताव शासन को प्रेषित किए जाने की संस्तुति की गई।

कार्यसूची में सम्मिलित प्रस्तावों के अतिरिक्त परीक्षा नियंत्रक द्वारा निम्नानुसार 02 प्रस्ताव कार्य परिषद के समक्ष प्रस्तुत किए गए:-

1. **परीक्षा नियंत्रक को देय अर्जित अवकाश के संबंध में:-** प्रोफेसर सोमेश कुमार, परीक्षा नियंत्रक द्वारा परिषद को अवगत कराया गया कि परीक्षा नियंत्रक को अर्जित अवकाश स्वीकृत किए जाने हेतु विश्वविद्यालय द्वारा शासन को पत्र प्रेषित किया गया है, जिस कारण विश्वविद्यालय द्वारा उन्हें अर्जित अवकाश स्वीकृत नहीं किया जा रहा है।

निर्णय:- ***कार्य परिषद द्वारा परीक्षा नियंत्रक के प्रस्ताव का संज्ञान लेते हुए सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया कि विश्वविद्यालय की परिनियमावली में वर्णित व्यवस्थानुसार विश्वविद्यालय के अध्यापकों की भांति परीक्षा नियंत्रक को भी अर्जित अवकाश अनुमन्य किए जाए तथा तद्संबंधी सूचना शासन को प्रेषित की जाय।***

2. **परीक्षा कार्यों हेतु विश्वविद्यालय में कार्यरत कार्मिकों को देय मानदेय के संबंध में:-** परीक्षा नियंत्रक द्वारा कार्य परिषद को अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय में कार्यरत समस्त शिक्षणेत्तर कार्मिकों को परीक्षा कार्यों हेतु मानदेय का भुगतान किया जाता था जिसे पिछले कुछ समय से वित्त अनुभाग द्वारा भुगतान नहीं किया जा रहा है। इस संबंध में वित्त नियंत्रक द्वारा परिषद को अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय में कार्यरत समस्त शिक्षणेत्तर कार्मिकों को प्रत्येक परीक्षा कार्यक्रम सम्पन्न होने के उपरान्त पूर्व से निर्धारित धनराशि मानदेय के रूप में दी जा रही थी, किन्तु परीक्षा विभाग में कार्यरत कार्मिकों

कुलसचिव
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी (नैनीताल)

कुलपति
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी जिला नैनीताल (उत्तराखण्ड)

को यह धनराशि दो बार भुगतान की जा रही थी, जिस पर ऑडिट आपत्ति होने के कारण इस मानदेय का भुगतान रोका गया है।

निर्णयः- ***कार्य परिषद द्वारा परीक्षा नियंत्रक एवं वित्त नियंत्रक द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव का संज्ञान लेते हुए अनुमोदन प्रदान किया गया कि विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षा कार्यों हेतु दिया जा रहा मानदेय केवल परीक्षा कार्यों में सम्मिलित कार्मिकों को ही भुगतान किया जाय।***

कार्यसूची में सूचीबद्ध समस्त प्रस्तावों एवं अध्यक्ष महोदय की अनुमति से प्रस्तुत अन्य प्रस्तावों पर विचार-विमर्श एवं अनुमोदन के उपरान्त कार्य परिषद के सदस्य सचिव द्वारा सभी माननीय सदस्यों विशेषकर बाह्य सदस्यों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए सभी का आभार व धन्यवाद ज्ञापित किया गया।

अन्त में कार्य परिषद के समस्त माननीय सदस्यों द्वारा अध्यक्ष महोदय के प्रति धन्यवाद ज्ञापित कर, बैठक सम्पन्न हुई।

21/11/2018

कुलसचिव/सदस्य सचिव, कार्य परिषद

कुलसचिव
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी (नैनीताल)

21/11/2018

कुलपति/अध्यक्ष, कार्य परिषद

कुलपति
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी जिला नैनीताल (उत्तराखण्ड)